

## अध्याय 3: क्रेडिट मूल्यांकन तथा संस्वीकृति

### 3.1 क्रेडिट मूल्यांकन तथा क्रेडिट सुविधाओं की संस्वीकृति हेतु प्रक्रिया

आईएफसीआई द्वारा क्रेडिट मूल्यांकन तथा क्रेडिट सुविधाओं की संस्वीकृति हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन नीचे किया गया है:

- क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) कारोबार मॉडल, निधियों की आवश्यकता के संबंध में प्रवर्तकों/कर्जदारों के साथ प्रारंभिक चर्चाओं के बाद ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा, आरओ पात्रता मानदंड, वित्तीय संबंधी, प्रतिभूति आदि की समीक्षा के अलावा समुचित सावधानी तथा 'अपने ग्राहक को जानिए' की औपचारिकताएं करता है।
- ईडी (क्रेडिट) की अध्यक्षता में अनुवीक्षण समिति (एससी) जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)/ मुख्य क्रेडिट अधिकारी (सीसीओ)/जीएम (वसूली), डीजीएम (जोखिम), क्षेत्र के जीएम शामिल हैं, के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है। अनुवीक्षण समिति विस्तृत मूल्यांकन हेतु प्रस्तावों की प्रथम दृष्टया मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकरण है।
- अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी के बाद, क्षेत्रीय कार्यालय क्रेडिट मूल्यांकन करता है जिसमें प्रतिभूति, समुचित सावधानी, औद्योगिक परिदृश्य, प्रक्षेपित वित्त आदि पर जानकारी के अलावा कार्पोरेट/परियोजना/प्रवर्तक प्रोफाइल, वित्तीय, नकद-प्रवाह, क्रेडिट रेटिंग, ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर), अचल परिसम्पत्ति कवरेज अनुपात (एफएसीआर) आदि का वर्णन किया जाता है।
- शुरुआती क्रेडिट मूल्यांकन के पश्चात, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन विभाग (सीआरएमडी) कर्जदार की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग/क्रेडिट को अंतिम रूप देता है जो ग्राहक की आंतरिक क्षमता तथा कमजोरियों का मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।
- विस्तृत क्रेडिट मूल्यांकन के पश्चात, प्रस्ताव को क्रेडिट एवं निवेश समिति (सीआईसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसकी अध्यक्षता सीईओ एवं एमडी द्वारा की जाती है व अन्य सदस्यों के रूप में डीएमडी, ईडी, सीएफओ, सीसीओ तथा जीएम (क्रेडिट) होते हैं। सीआईसी ₹ 100 करोड़ तक वित्तीय सहायता की संस्वीकृति तथा ₹100 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है।
- सीआईसी द्वारा अनुमोदन हेतु सिफारिश किए गए प्रस्ताव को निदेशकों की कार्यकारी समिति (ईसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसे ₹ 100 करोड़ से अधिक तथा ₹ 300

करोड़ तक की वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने की शक्ति दी गई है। ₹ 300 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता की संस्वीकृति निदेशक बोर्ड द्वारा दी जाती है।

- प्रस्ताव की संस्वीकृति के पश्चात इसकी सूचना आशय पत्र (एलओआई) द्वारा स्वीकृति हेतु सभी निबंधन एवं शर्तों के साथ, कर्जदार के साथ आगे पत्राचार के लिए संबंधित आरओ को दी जाती है।
- कर्जदार द्वारा एलओआई की स्वीकृति पर, प्रलेखन की प्रक्रिया की जाती है जिसमें प्रतिभूति का सृजन शामिल है जिसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप सीईओ तथा एमडी द्वारा संवितरण का अनुमोदन किया जाता है।
- पात्रता मानदंड, प्रतिभूति कवर, ऋण अवधि या किसी अन्य शर्त के संबंध में प्रस्तावों में छूट/भिन्नता का अनुमोदन निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। तथापि, 2014-15 के बाद से, ऐसी छूट/भिन्नता का अनुमोदन शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जाना है।
- ब्याज दर, प्रतिभूति कवर तथा ऋण अवधि से संबंधित संस्वीकृति की शर्तों में आशोधन तथा छूट का अनुमोदन संस्वीकृति प्राधिकारी को किया जाता है। संस्वीकृति की किसी अन्य शर्तों को संस्वीकरण प्राधिकारी को रिपोर्ट के तहत सीईओ तथा एमडी द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तथापि, 2014-15 के बाद से ऐसे आशोधन/छूट का अनुमोदन सीईओ तथा एमडी की अध्यक्षता में समिति/शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जाना है।

### 3.2 सामान्य उधार नीति

ऋणों की संस्वीकृति हेतु, आईएफसीआई का मार्गदर्शन सामान्य उधार नीति (जीएलपी) द्वारा किया जाता है जिसे प्रतिवर्ष बनाया जाता है तथा निदेशक बोर्ड द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। यह नीति विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र आदि के साथ-साथ धारक/निवेश कम्पनियों/एसपीवीज के वित्तपोषण के पात्रता मापदंड को नियत करती है। जीएलपी प्रतिभूति के सृजन, प्रतिभूति के मूल्यनिर्धारण, क्रेडिट प्रशासन तथा मॉनिटरिंग हेतु नीति के ब्यौरों का वर्णन भी करती है। जीएलपी का उद्देश्य विविध पोर्टफोलियों के साथ लेन-देन के जोखिम रिटर्न को अनुकूल बनाने के लिए दूसरे सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ कम्पनी के मुख्य कारोबार उद्देश्यों के अनुरूप कार्पोरेट को वित्तीय सहायता संस्वीकृत करना है।

लेखापरीक्षा ने यह जांच करने के मद्देनजर 31 मार्च 2016 को समाप्त चार वर्षों के दौरान संस्वीकृत किए गए ऋणों के 128 मामलों का चयन तथा उनकी समीक्षा की कि क्या ऋणों

को मौजूदा जीएलपी तथा करार की शर्तों के अनुसार संस्वीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा ने समीक्षा किए गए इन 128 मामलों में देखा कि 69 मामलों (54 प्रतिशत) के संबंध में, ऋणों को संबंधित जीएलपी में निर्धारित पात्रता शर्तों से विचलन करते हुए संस्वीकृत किया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि 20 मामलों (नमूना मामलों का 16 प्रतिशत) के संबंध में कर्जदार ने ₹ 184.58 करोड़ के ब्याज भुगतान में चूक की थी।

विचलनों की प्रवृत्ति के विश्लेषण (अनुबंध-1) से पता चला कि छूट दिए गए पात्रता मानदंड मुख्यतः अनुबद्धित वित्तीय अनुपातों के अनुपालन, न्यूनतम प्रतिभूति कवर की आवश्यकता, प्रतिभूति के प्रकार तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्जदार कंपनी की लाभकारिता आदि से संबंधित थे जैसे कि नीचे दर्शाया गया है:

**तालिका-3: ऋण संस्वीकृत करते समय सामान्य उधार नीति में निर्धारित प्रतिमानों से विचलन:**

क्रम सं.	अनुबद्धित मानदंडों से विचलन की प्रवृत्ति	मामलों की संख्या जहां विचलन देखे गए*	प्रतिशतता
1.	वित्तीय अनुपातों (लाभकारिता अनुपात, नकदी अनुपात, लीवरेज अनुपात तथा कवरेज अनुपात) से संबंधित मानदंड से विचलन	67	52
2.	क्रेडिट रेटिंग, न्यूनतम निवल संपत्ति तथा पिछले वर्षों की लाभकारिता से संबंधित मानदंड से विचलन	31	24
3.	न्यूनतम प्रतिभूति कवर तथा प्रतिभूति के प्रकार तथा इसके मूल्य निर्धारण से छूट	38	30
4.	संस्वीकृत शर्तों के अनुसार अन्य अनुबद्धित शर्तों से विचलन	17	13
5.	इरादतन चूककर्ताओं को संस्वीकृति	3	2

\* मामलों, जहां विचलन पाए गए थे, के ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं। एक मामला विचलन की कई श्रेणियों में आ सकता है।

#### क. वित्तीय अनुपातों का पालन न करना

एक इकाई की समग्र वित्तीय मजबूती के निर्धारण में इसके निष्पादन तथा इसके वित्तीय सूचकों का विश्लेषण शामिल है जो वित्तीय विवरणों से लिया जाता है। इस निर्धारण के लिए मुख्य मापदंड लाभकारिता अनुपात, नकदी अनुपात, लीवरेज अनुपात तथा कवरेज अनुपात है। यद्यपि नकदी अनुपात जैसे चालू अनुपात फर्म की इसके वर्तमान दायित्वों को पूरा करने की

योग्यता का आकलन करते हैं। लाभकारिता/प्रचालन अनुपात जैसे सकल लाभ, निवल लाभ तथा प्रचालन लाभ के अंतर प्रबंधन की व्ययों को नियंत्रित करने तथा प्रतिबद्ध संसाधनों पर लाभ अर्जित करने की योग्यता का आंकलन करते हैं लीवरेज अनुपात जैसे ऋण इक्विटी अनुपात, वास्तविक निवल सम्पत्ति अनुपात में कुल बकाया देयताओं आदि कम्पनी के लीवरेज अर्थात् इसके ऋण भार की सीमा का आंकलन करते हैं। कवरेज अनुपात जैसे ऋण सेवा कवरेज अनुपात, अचल परिसम्पत्ति कवरेज अनुपात तथा ब्याज कवरेज अनुपात दीर्घावधि निधियों के ऋणदाताओं को दी गई सुरक्षा की सीमा का मापन है अर्थात् कम्पनी की इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की योग्यता। इस प्रकार, वित्तीय अनुपात उधारकर्ताओं की क्रेडिट पात्रता का मूल्यांकन तथा उनकी वित्तीय स्थिति के आंकलन के लिए साधन उपलब्ध कराते हैं। आईएफसीआई ने उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ऋण संस्वीकृत करते समय विभिन्न न्यूनतम एवं अधिकतम अनुपातों का अनुबद्ध किया, जिन पर विचार किया जाना था।

वित्तपोषण दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुपात शर्तों में समीक्षा किए गए नमूनों में से 67 मामलों (52 प्रतिशत) के संबंध में विचलन/छूट पाई गई थी

#### **ख. क्रेडिट रेटिंग, न्यूनतम निवल परिसम्पत्ति तथा कर्जदारों की लाभकारिता मानदंड से विचलन**

आईएफसीआई की जीएलपी ने कर्जदारों की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग का उल्लेख किया जो कि क्रेडिट जोखिम को दर्शाता था। सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए तथा सीएआई आदि जैसी बाह्य एजेंसियों से क्रेडिट रेटिंग को बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया गया था। इसी प्रकार, कर्जदार की न्यूनतम निवल परिसम्पत्ति, जो इकाई की क्रेडिट पात्रता को दर्शाती है, का उल्लेख किया गया था और यह इकाई के मूल्य का महत्वपूर्ण निर्धारक था। इसके अलावा, संस्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष पूर्व के लाभ को भी मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया था।

नमूना मामलों की समीक्षा से पता चला कि इन मानदंडों से 31 मामलों (नमूना मामलों का 24 प्रतिशत) के संबंध में विचलन था/छूट दी गई थी।

#### **ग. प्रतिभूति कवर से विचलन**

जीएलपी के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति प्रबंधन में अग्रिमों/ऋणों के संवितरण से पूर्व आईएफसीआई के पक्ष में कर्जदार/तीसरी पार्टी की परिसम्पत्तियों पर लागू करने योग्य प्रभार का सृजन शामिल है। इसका उचित मूल्य-निर्धारण/भंडारण/अनुरक्षण तथा बीमा

नियमित अंतरालों पर करना अपेक्षित है ताकि आईएफसीआई द्वारा दिए गए अग्रिम पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहे। इसके अलावा, प्रभारित प्रतिभूतियों का आवधिक रूप से मूल्य-निर्धारण किया जाना था तथा संस्वीकृत शर्तों के अनुसार अनुबद्धित मार्जिन का क्रेडिट अवधि के दौरान रख-रखाव करने की आवश्यकता होगी। सामान्य उधार नीति प्रभारित प्रतिभूति की प्रकृति तथा प्रतिभूति के वर्गीकरण को भी निर्धारित करती है जैसाकि नीचे दिया गया है:

(i) प्राथमिक प्रतिभूतियां सभी मुख्य सुविधाओं तथा आईएफसीआई के पक्ष में प्रभार/अधिकार को कवर करने के लिए ली जानी थी:

क. दीर्घावधि ऋणों तथा प्रत्याभूतियों के लिए: प्राथमिक प्रतिभूति वित्तपोषित की गई विशेष अचल परिसम्पत्तियों पर प्रभारित की जानी थी।

ख. परियोजना ऋणों के लिए: परियोजना की अचल परिसम्पत्तियों को गिरवी रखना तथा चल परिसम्पत्तियों को बंधक रखना अपेक्षित था।

(ii) कोर्पोरेट प्रत्याभूति, प्रोत्साहकों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति, परिसम्पत्तियों पर सहायक<sup>6</sup> प्रभार आदि जैसी अतिरिक्त प्रतिभूति भी अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की जा सकती थी।

मार्च 2016 को समाप्त चार वर्षों में संस्वीकृत ऋणों की समीक्षा से 38 मामलों (नमूना मामलों का 30 प्रतिशत) में उपरोक्त पात्रता शर्तों से विचलन देखे गए थे जिसने चूक के मामले में जोखिमों को कवर करने के प्रतिभूति प्रतिमानों के उद्देश्यों को विफल किया।

#### घ. जीएलपी में अनुबद्धित अन्य शर्तों/संस्वीकृति की शर्तों से विचलन

कुछ शर्तें करार की संस्वीकृति की शर्तों के साथ-साथ संबंधित जीएलपी जैसे शेयरों के प्रति ऋण देना, संवितरण से पहले अपफ्रन्ट फीस/विधिक फीस की प्राप्ति, ऋण अवधि में वृद्धि तथा कर्जदार से लिक्विडेटेड हर्जाने आदि जैसे अन्य प्रभारों की वसूली के अनुसार अनुबद्धित की गई थी।

नमूना मामलों की समीक्षा से 17 मामलों (नमूना मामलों का 13 प्रतिशत) में यह त्रुटियां सामने आई थी, जिससे सुविधाओं के संस्वीकरण में शामिल जोखिमों को कम करने का उद्देश्य विफल होता है।

<sup>6</sup> परिसम्पत्तियों पर गौण प्रभार अर्थात प्राथमिक प्रभार धारण करने वाले ऋणदाता की संतुष्टि के बाद बाकी प्रभार

### ड. इरादतन चूककर्ताओं को संस्वीकृति

कम्पनी की सामान्य उधार नीति विशेष रूप से उन कर्जदारों को ऋण की संस्वीकृति को निषेध करती है जिनके प्रवर्तक, निदेशक या पूर्ण कालीन निदेशक क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) की 'इरादतन चूककर्ता' सूची में डाले गए हैं। हालांकि, यह देखा गया कि तीन मामलों में (नमूना मामलों का दो प्रतिशत), कंपनी ने उन कर्जदारों को ऋण संस्वीकृत किया था जिसके प्रवर्तकों/निदेशकों को इरादतन चूककर्ता सूची में डाला गया था।

### 3.3 लेखापरीक्षा परिणाम

ऋण की संस्वीकृति में पात्रता मानदंड से महत्वपूर्ण छूट/विचलनों के कुछ निदर्शी मामलों के परिणामस्वरूप ₹ 97.03 करोड़ के बकाया ब्याज सहित ₹ 1094.65<sup>7</sup> करोड़ की संदेहास्पद वसूली के अलावा ₹ 25.57 करोड़ की हानि हुई थी, ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

#### 3.3.1 प्रतिभूति के सृजन के संबंध में सामान्य उधार नीति से विचलन के मामले

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईएफसीआई ने प्रतिभूतियों के उचित सृजन तथा मूल्य निर्धारण के संबंध में अपनी सामान्य उधार नीति के प्रावधानों से विचलन करते हुए कर्जदार को क्रेडिट सुविधाओं की संस्वीकृति दी थी। इसके अलावा, अविक्रेय प्रतिभूतियों की स्वीकृति भी देखी गई थी। प्रतिभूतियों का अधिक मूल्य निर्धारण पाया गया था क्योंकि यह निवर्तमान सामान्य उधार नीति में निर्धारित की गई मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुरूप नहीं था। प्रतिभूति सृजन के संबंध में विचलनों के कुछ मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

#### क. मंडावा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी ने मंडावा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एमएचपीएल) को ₹ 250 करोड़ के ऋण की संस्वीकृति (अगस्त 2014) दी थी जो कि प्रवर्तक की व्यक्तिगत प्रत्याभूति सहित मूर्त प्रतिभूति (1.75 गुणा) तथा नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड (एनएसएल, एक समूह कम्पनी) के असूचीबद्ध शेयरों की गिरवी (0.5 गुणा) पर अनन्य प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया जाना था। ₹ 245.74 करोड़ की कुल राशि को क्रमशः ₹ 80 करोड़, ₹ 105 करोड़ तथा ₹ 60.74 करोड़ के तीन भागों में संवितरित (सितम्बर 2014/दिसम्बर 2014/जनवरी 2015) किया गया था

<sup>7</sup> मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, भूषण स्टील लिमिटेड, वीबीसी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड तथा पीपावाव मरीन एण्ड ऑफशोर लिमिटेड/पीपावाव डिफेंस एण्ड ऑफशोर इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के मामले में।

और शेष को निरस्त कर दिया गया था। कर्जदार ने कृषि भूमि के गिरवी के आधार पर तथा असूचीबद्ध एनएसएल शेयरों की गिरवी के आधार पर पहले संवितरण का अनुरोध किया था (सितम्बर 2014)। तथापि, इस भूमि को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसम्पत्तियों का परिसम्पत्ति पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के प्रावधानों के तहत कृषि भूमि लागू करने योग्य नहीं थी तथा केवल एनएसएल शेयरों की गिरवी के आधार पर संवितरण किया गया था।

लेखा परीक्षा ने देखा कि असूचीबद्ध शेयरों की गिरवी को निजी पार्टी द्वारा किए गए मूल्य निर्धारण के आधार पर लिया गया था, जिसे बाजार मूल्य मान लिया गया जो प्रचलित सामान्य उधार नीति के प्रावधानों के उल्लंघन में था जिसमें बुक मूल्य या आईएफसीआई द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा निर्धारित कीमत से कमतर पर गिरवी रखने का प्रावधान था। कंपनी ने न तो शेयरों के बुक मूल्य का निर्धारण किया और न ही स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा मूल्य निर्धारण करवाया। दूसरे संवितरण (31 दिसम्बर 2014) के दौरान, आईएफसीआई की अनुवीक्षण समिति द्वारा स्पष्ट अनुबद्ध (23 जून 2014) कि गिरवी संपत्ति गैर-विशेष आर्थिक जोन (नॉन-एसईजेड) संपत्ति होनी चाहिए उसके बावजूद, आईएफसीआई ने हैदराबाद स्थित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा आईटी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) के लिए अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) में भूमि की प्रतिभूति स्वीकार की थी। अभिलेखों में अनुवीक्षण समिति अनुबद्ध के उल्लंघन के कारण नहीं पाये गए थे। एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 11(9) के अनुसार प्रवर्तक भूमि को नहीं बेच सकता। यदि कर्जदार द्वारा चूक के मामले में भूमि को बेचना पड़ जाए तो यह आईएफसीआई को जोखिम में डाल देगा। मार्च 2016 को बकाया राशि ₹ 245.74 करोड़ थी।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2016) कि एनएसएल के शेयरों की गिरवी अन्य ऋणदाताओं के अनुरूप एक्सिस कैपिटल द्वारा किए गए मूल्य निर्धारण के आधार पर किया गया था। यह भी बताया गया कि एसईजेड अधिनियम ऋणदाता के पक्ष में पट्टा अधिकारों को गिरवी रखने हेतु प्रवर्तक पर रोक नहीं लगाता। कंपनी द्वारा प्राप्त विधिक राय के अनुसार (एसईजेड) भूमि को सरफेसी के अंतर्गत लागू किया जा सकता; हालांकि बिक्री के मामले में हस्तांतरिती को इस भूमि का उपयोग केवल औद्योगिक उद्देश्य हेतु करना पड़ेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आईएफसीआई ने स्वतंत्र मूल्य निर्धारक द्वारा मूल्य-निर्धारण कराए बिना एनएसएल के शेयरों की गिरवी स्वीकार करके अपनी सामान्य उधार नीति से विचलन किया था। इसके अलावा, एसईजेड भूमि की गिरवी अनुवीक्षण समिति की टिप्पणियों

तथा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11(9) के प्रावधानों, जिनमें अनुबद्ध था कि प्रवर्तक एसईजेड भूमि नहीं बेच सकता, के विचलन में था।

### ख. रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

आईएफसीआई ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) को ₹500 करोड़ का कार्पोरेट ऋण संस्वीकृत किया था (जनवरी 2015)। ऋण का संवितरण (फरवरी 2015) रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) के शेयरों की गिरवी के माध्यम से ऋण राशि के दो गुणा की अंतरिम प्रतिभूति उपलब्ध कराकर किया गया था। दहानु थर्मल पावर स्टेशन की भूमि पर पहले समरूप प्रभार की प्राथमिक प्रतिभूति आठ माह में तैयार की जानी थी। ऋण का पुनर्भुगतान 27 माह के अधिस्थगन के बाद 11 बराबर तिमाही किस्तों में किया जाना था। मार्च 2016 को बकाया राशि ₹ 500 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईएफसीआई ने 1.75 गुणा (जिसमें से कम से कम 1 गुणा अर्थात ऋण राशि के बराबर का प्रतिभूति कवर मूल परिसम्पतियों के रूप में अपेक्षित था) के अनुबद्धित सुरक्षा कवर के प्रति केवल 1.25 गुणा प्रतिभूति कवर के साथ आरआईएल को ऋण संस्वीकृत किया था। ऋण का संवितरण रिलायंस पावर लिमिटेड के गिरवी शेयरों की अंतरिम प्रतिभूति के आधार पर किया गया था क्योंकि आईएफसीआई ने सरकारी भूमि, जो मूल रूप से बम्बई उपनगरीय विद्युत आपूर्ति (बीएसईएस) को आबंटित (अगस्त 2003) थी तथा अभी आरआईएल<sup>8</sup> को हस्तांतरित की जानी है, के गिरवी के नाते प्राथमिक प्रतिभूति देने हेतु आठ माह का समय दिया था। तथापि, यह देखा गया कि आईएफसीआई ने उसी प्रतिभूति को स्वीकार कर लिया जिसके संबंध में आरआईएल दूसरे ऋण के संबंध में फरवरी 2014 में गिरवी रखने हेतु महाराष्ट्र सरकार से पहले भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहा था। अप्रवर्तनीय प्रतिभूति स्वीकार करने में समुचित सावधानी नहीं दिखाई गयी। जिसके परिणामस्वरूप अब तक गिरवी का सृजन नहीं हुआ। इसके अलावा, आरपीएल जिसके शेयर गिरवी रखे जाने थे, की बाह्य क्रेडिट रेटिंग 'ए' की अपेक्षित न्यूनतम रेटिंग के बजाय 'ए-' थी।

प्रबंधन (अप्रैल/नवम्बर 2016) ने स्वीकार किया कि इसने कर्जदार के प्रतिष्ठित प्रवर्तकों को ध्यान में रखते हुए संस्वीकृति की शर्तों को माफ़ कर दिया/संशोधित कर दिया तथा भूमि की

<sup>8</sup> 24 फरवरी, 2004 से बीएसईएस लिमिटेड का नाम बदल कर रिलायंस एनर्जी लिमिटेड कर दिया गया था तथा रिलायंस एनर्जी लिमिटेड का नाम 28 अप्रैल 2008 से आरआईएल कर दिया गया था।



गिरवी भूलेख में नाम के परिवर्तन की लंबित प्रक्रिया के कारण रखी नहीं की जा सकी। इसके अलावा, आईएफसीआई के पक्ष में प्रतिभूति रखने हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में पर्याप्त प्रगति हुई है तथा गिरवी शेयरों का कवर 2.00 गुणा के अनुबद्धित कवर के प्रति वर्तमान में 2.18 गुणा था (07/10/2016 को बंद हुई बाजार कीमत के आधार पर)।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 2014 (हस्तांतरण के छह वर्षों के बाद भी) में उसी भूमि को गिरवी रखने हेतु सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कर्जदार की विफलता के बावजूद उक्त को फिर से स्वीकारने से आईएफसीआई ने गुरेज नहीं किया। इसके अलावा, यद्यपि शेयरों का प्रतिभूति कवर 2.18 गुणा है, फिर भी सामान्य उधार नीति अनुबद्ध का अभी तक पालन नहीं किया गया है जिसमें अपेक्षित है कि मूर्त प्रतिभूति कवर ऋण राशि से कम नहीं होना चाहिए।

#### **ग. विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**

आईएफसीआई ने विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वीआईएल) को ₹ 100 करोड़ का कार्पोरेट ऋण संस्वीकृत किया था (जुलाई 2015) तथा ₹ 98 करोड़ का संवितरण किया (सितम्बर 2015)। ऋण को संवितरण की तिथि से 18 माह के स्थगन के पश्चात 14 तिमाही किस्तों में चुकाया जाना था। प्राथमिक प्रतिभूति वाणिज्यिक कॉम्प्लैक्स की गिरवी तथा वीआईएल के तथा इसके स्पेशल परपस वेहिकल (एसपीवी) के असूचीबद्ध शेयरों की गिरवी द्वारा दी गई थी। इस वाणिज्यिक कॉम्प्लैक्स को नागपुर नगर निगम (एनएमसी) के स्वामित्व वाली भूमि पर बनाया जाना था जिसे निर्माण प्रचालन एवं हस्तांतरण (बीओटी) करार के आधार पर उपरोक्त भूमि के विकास हेतु ओरेंज सिटी मॉल प्राइवेट लिमिटेड (ओसीएमपीएल), वीआईएल तथा काकड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केआईएल) की एक एसपीवी को हस्तांतरित (8 मई 2014) किया गया था। बकाया मूलधन ₹ 98 करोड़ था (31 मार्च 2016 तक)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऋण की संस्वीकृति 2.41 गुणा के प्रतिभूति कवर तथा 1.1 के चालू अनुपात पर दी गई थी जबकि सामान्य उधार नीति 2.5 के न्यूनतम प्रतिभूति कवर तथा 1.2 का चालू अनुपात का अनुबद्ध करती है, आईएफसीआई ने भी कर्जदार की खराब वित्तीय स्थिति के सूचकों पर ध्यान नहीं दिया जोकि 2013-14 तथा 2014-15 में राजस्व, लाभों, नकद उपचय, ब्याज कवरेज आदि में गिरावट की प्रवृत्ति से स्पष्ट था। समेकित परिणाम ने 2012-13 में ₹ 7.76 करोड़ के लाभ से 2013-14 में ₹ 3.45 करोड़ की हानि दर्शाई।

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व में भी पिछले दो वर्षों में गिरावट आई थी तथा प्रचालन एवं निवेश कार्यकलापों का नकद प्रवाह 2012-13 और 2013-14 के दौरान नकारात्मक था।

बीओटी करार के अनुसार, ओसीएमपीएल को ऋणदाता संस्थानों से वित्त सृजन तथा एनएमसी को पूर्व सूचना के साथ परियोजना या परियोजना स्थल के गिरवी के माध्यम से उक्त को प्रतिभूत करने का अधिकार दिया गया था। तथापि, आईएफसीआई तथा ओसीएमपीएल ने क्रमशः परियोजना स्थल तथा परियोजना<sup>9</sup> को गिरवी रखने के लिए गैर-बकाया प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए एमएमसी को किए गए अनुरोध (16 तथा 21 सितम्बर 2015) के प्रति एनएमसी ने केवल परियोजना के गिरवी रखने की अनुमति दी (28 सितम्बर 2015)। यह देखा गया कि यद्यपि आईएफसीआई ने भूमि तथा उसकी ऊपर की संरचना को गिरवी रखा था फिर भी उक्त को प्रवर्तित करना कठिन होगा, यदि कर्जदार अपने ऋण चुकाने में चूक जाता है, क्योंकि इस परियोजना स्थल को गिरवी रखने के लिए एनएमसी ने अनुमति नहीं दी थी।

बीओटी करार (ओसीएमपीएल के साथ) के अनुसार परियोजना या परियोजना स्थल पर ठेका अवधि की अनुबद्धित तिथि या इसके पहले समापन से परे किसी वित्तीय भार<sup>10</sup> का सृजन नहीं किया जा सकता। यह भी बताया गया कि सभी संदर्भों में निर्माण 6 अगस्त 2016 तक पूरा हो जाना चाहिए। उपरोक्त के मद्देनजर, यह भी देखा गया कि कथित भूमि पर निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अतः यदि एनएमसी द्वारा करार समाप्त कर दिया जाए तो गिरवी को प्रवर्तित करना कठिन होगा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त/नवम्बर 2016) कि विचलनों का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया था। उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि ओसीएमपीएल के पास परियोजना स्थल का स्वामित्व नहीं है तथा बताया कि 29 सितम्बर 2015 को भूमि तथा भवन पर आईएफसीआई के पक्ष में रखा गया गिरवी नियमानुकूल तथा वैध था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विचलनों का अनुमोदन कर्जदार की खराब वित्तीय स्थिति पर चेतावनी सूचकों को अनदेखा करके किया गया था तथा यदि कर्जदार चूक जाता है तो

<sup>9</sup> बीओटी करार के तहत परियोजना में शॉपिंग माल, बाजारों, होटल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, रेस्त्रा, मनोरंजन क्षेत्रों, पार्किंग क्षेत्र सहित सुविधा के निर्माण, विकास तथा प्रचालन या बीओटी करार की शर्तों के अनुसार कोई अन्य विकास शामिल है।

<sup>10</sup> बीओटी करार के अनुसार ऋणभार में गिरवी प्रभार, जमानत, पुनर्ग्रहणाधिकार गिरवी या प्रतिभूति ब्याज या कोई अन्य बंधन शामिल है।

प्रतिभूति का प्रवर्तन करना कठिन होगा क्योंकि एनएमसी द्वारा दी गई अनुमति विशेष रूप से केवल परियोजना के लिए थी जिसमें गिरवी भूमि हेतु अनुमति शामिल नहीं थी।

### 3.3.2 इरादतन चूककर्ता को संस्वीकृति

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन मामलों में, उन कर्जदारों को ऋण संस्वीकृत किए गए थे जिनके नाम प्रवर्तकों/स्वतंत्र निदेशकों की इरादतन चूककर्ता सूची में थे। यह सामान्य उधार नीति से विचलन में था। एक मामले का ब्यौरा नीचे दिया गया है, एसईडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से संबंधित दूसरे मामले पर पैरा 6.3.1 में चर्चा की गई है तथा जुबिलेंट लाइफ साइसेंस लिमिटेड से संबंधित तीसरे मामले का उल्लेख अनुबंध 1 में किया गया है।

### मंत्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

आईएफसीआई ने मंत्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमडीपीएल) को इसकी रियल एस्टेट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ₹ 100 करोड़ प्रत्येक के दो कॉर्पोरेट ऋण संस्वीकृत किए थे (जून 2014, सितम्बर 2014)। एमडीपीएल ने बेंगलोर में ₹ 258.74 करोड़ तथा ₹ 251.18 करोड़ (डीएसवी) मूल्य के दो प्लॉटों को गिरवी रखकर प्रतिभूति दी थी (जून 2014, अक्टूबर 2014)। 31 मार्च 2016 तक कुल बकाया ऋण ₹ 177.39 करोड़ था।

आरबीआई दिशानिर्देशों में विशेष रूप से सूचीबद्ध इरादतन चूककर्ताओं को ऋण की संस्वीकृति का निषेध किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान सामान्य उधार नीति ने अनुबद्ध किया कि किसी संस्वीकरण प्राधिकारी द्वारा उन कंपनियों को क्रेडिट सुविधाएं देने के लिए विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनके प्रवर्तक सीआईबीआईएल की इरादतन चूककर्ता सूची में थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एमडीपीएल को पहला ऋण आईएफसीआई के क्रेडिट एवं निवेश समिति द्वारा संस्वीकृत किया गया था (10 जून 2014) जो इसकी उधार नीति से विचलन में था, चूंकि एमडीपीएल का प्रवर्तक 2007 से सीआईबीआईएल की इरादतन चूककर्ता की सूची में था। इस विचलन का अनुमोदन कार्यकारी समिति तथा निदेशक मण्डल द्वारा किया गया था (12 जून 2014), हालांकि सामान्य उधार नीति ने कभी भी इस विचलन के अनुमोदन की अनुमति नहीं दी। इस ऋण का संवितरण 16 जून 2014 को किया गया था। आईएफसीआई द्वारा इस ऋण की संस्वीकृति एमडीपीएल के इसके संबंधित गुप में ₹ 1200 करोड़ की इसकी अनावृति के साथ-साथ लगभग ₹ 1800 करोड़ की बड़ी आकस्मिक देयता (31 मार्च 2013) के तहत इसकी खराब स्थिति के संबंध में क्रेडिट जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा बताए गए जोखिमों का विश्लेषण किए बिना दी गई थी। यहां तक कि ऋण

सेवा कवरेज अनुपात पिछले दो वर्षों के 0.32 तथा 0.36 (2012 तथा 2013) के अनुपातों के बावजूद अनुमानित ऋण सेवा कवरेज अनुपात ऋण अवधि (2014-15 से 2018-19) के लिए 1.5 था। आईएफसीआई इस तथ्य का संज्ञान लेने में विफल रहा कि टर्नओवर की अनुमानित वृद्धि को अगले तीन वर्षों (क्रमशः 65 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत) के लिए उच्च दरों पर प्रक्षेपित किया गया था, यद्यपि संस्वीकृति से पूर्व पिछले तीन वर्षों के लिए टर्नओवर के वास्तविक प्रवृत्ति में बहुत ही कम वृद्धि (लगभग 3 प्रतिशत) दर्शाई थी जैसाकि क्रेडिट लेखापरीक्षा रिपोर्ट (जुलाई 2014) में बताया गया था।

दूसरे ऋण की संस्वीकृति एमडीपीएल को पिछले ऋण के संस्वीकरण के तीन माह के पश्चात दी गई थी, हालांकि इसके प्रवर्तक का नाम अभी तक सीआईबीआईएल की इरादतन चूककर्ता की सूची में था। पहले ऋण को संस्वीकृत करते समय प्रक्षेपित की अपेक्षा 2013-14<sup>11</sup> में कम आय/लाभों के वित्तीय ट्रिगर पर भी दूसरे ऋण को संस्वीकृत करने से पूर्व ध्यान नहीं दिया गया था।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल/नवम्बर 2016) कि इरादतन चूककर्ता सूची में प्रवर्तक के नाम के संबंध में विचलन का अनुमोदन बोर्ड द्वारा जून 2016 में दिया गया था। इसके अलावा, रियल एस्टेट क्षेत्र में एमडीपीएल के पर्याप्त अनुभव तथा लेखा का संतोषजनक निष्पादन वह कारक थे जिन पर एमडीपीएल को क्रेडिट सुविधा की संस्वीकृति देते समय विचार किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि सामान्य उधार नीति के साथ-साथ आरबीआई दिशानिर्देश विशेष रूप से इरादतन चूककर्ताओं को ऋण की संस्वीकृति पर रोक लगाते हैं। इसके अलावा, मौजूद जीएलपी ने विशेष रूप से बताया कि किसी संस्वीकरण प्राधिकरण द्वारा इस विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना रूढ़िवादी तरीके से की जानी चाहिए थी क्योंकि सीआरएमडी ने भी कहा था कि कुछ परियोजनाएं कार्यान्वयन/योजना स्तर पर थी इसलिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नकद प्रवाहों की पर्याप्तता का मूल्यांकन स्ट्रेस्ड परिस्थितियों के हिसाब से किया जाना चाहिए।

### 3.3.3 वित्तीय अनुपातों से विचलन करते हुए ऋणों की संस्वीकृति

लेखापरीक्षा ने देखा कि नीचे दिए गए मामलों के संबंध में ऋणों की संस्वीकृति पात्रता शर्तों से विचलन करते हुए दी गई थी जिनमें अपेक्षित था कि कर्जदार के वित्तीय अनुपात सामान्य उधार नीति की शर्तों के अनुसार होने चाहिए। क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान समुचित

<sup>11</sup> वास्तविक आय तथा पैट ₹ 670 करोड़ तथा ₹ 118 करोड़ के प्रक्षेपणों के प्रति क्रमशः ₹ 522 करोड़ तथा ₹ 70 करोड़

सावधानी नहीं दिखाई गयी थी जिसके परिणामस्वरूप खराब ऋण सेवा क्षमताओं वाले कर्जदारों को ऋण संस्वीकृत हो गए थे। विशेष मामलों पर नीचे चर्चा की गयी है:

#### **क. मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड**

कंपनी ने मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड (एमआईईएल) द्वारा जारी किए गए ₹ 250 करोड़ मूल्य के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर का अभिदान किया (फरवरी 2014/मार्च 2014) जो एनसीडी की अवधि पर न्यूनतम 1.25 गुणा के अचल परिसम्पत्ति कवरेज अनुपात (एफसीसीआर) के साथ सभी अचल परिसम्पत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत थी। एमआईईएल ब्याज भुगतान में चूक गया था (नवम्बर 2014 के बाद से) तथा 1 अप्रैल 2015 को देय ₹ 31.25 करोड़ के पहले मूलधन को चुकाने में भी विफल रहा। इसी बीच, इसकी क्रेडिट रेटिंग को दो बार सीएआरई ए+(संस्वीकृति के समय) से सीएआरई ए-(अक्टूबर 2014) तथा बाद में सीएआरई बीबीबी-(नवम्बर 2014) में डाऊनग्रेड किया गया था जो आईएफसीआई को डिबेंचर अंशदान की शर्तों के अनुसार कूपन दर को फिर से नियत करने का अधिकार देता था। संयुक्त ऋणदाता फोरम ने नीतिगत ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) को लागू किया जिसके अनुरूप आईएफसीआई के बकाया ब्याज (₹ 11.69 करोड़) के हिस्से को इक्विटी<sup>12</sup> में बदला गया था। बकाया मूलधन ₹ 250 करोड़ था और बकाया ब्याज ₹ 22.76 करोड़ था (मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एनसीडीज का अभिदान किया गया था यद्यपि प्रतिभूति कवर एफएसीआर के माध्यम से केवल 1.25 था, जबकि सामान्य उधार नीति के अनुसार एफएसीआर 1.75 अनुबद्ध था। कम एफएसीआर पर क्रेडिट जोखिम प्रबंधन विभाग (सीआरएमडी) की टिप्पणियों को यह कहते हुए शामिल किया गया कि भावी नकद प्रवाहों के आधार पर नकदी स्थिति ऋण दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कवरेज अनुपातों से अधिक संबंधित थी। इसके अलावा, कम एफएसीआर होते हुए भी व क्रेडिट एवं निवेश समिति (सीआईसी)/सीआरएमडी के सुझाव के बावजूद अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी। एनसीडीज की अवधि के दौरान एमआईईएल का औसत प्रक्षेपित ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) 1.29 था, यद्यपि सामान्य उधार नीति में 1.4 का औसत डीएससीआर अनुबद्ध किया गया था। संस्वीकृति के दौरान किए गए डीएससीआर प्रक्षेपण अवास्तविक पाए गए क्योंकि वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान वास्तविक डीएससीआर

<sup>12</sup> अर्थात 34.18 लाख शेयर @ ₹ 34.20 प्रति शेयर (₹ 10 प्रत्येक और ₹ 24.20 प्रति शेयर के प्रीमियम पर)

एक से कम रहा था। कंपनी ने कर्जदार की क्रेडिट रेटिंग के डाऊन ग्रेड होने के बावजूद डिबेंचर अभिदान की शर्तों के अनुसार कूपन दर को पुनः नियत नहीं किया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि एमआईईएल को संस्वीकृति के समय 'सीएआरई ए+' रेटिंग दी गई थी तथा इसमें बैंकिंग प्रणाली का ₹ 5540 करोड़ का कुल निवेश था। वित्तीय वर्ष 2014-15 में एमआईईएल की लाभकारिता बुरी तरह प्रभावित हुई क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोनेट ग्रुप को आबंटित पांच कोयला खानों सहित सभी कोयला खानों का आबंटन रद्द कर दिया तथा इसे ₹ 252 करोड़ का रॉयल्टी भुगतान वहन करना पड़ा था। इसने यह भी बताया कि संघीय व्यवस्था में आईएफसीआई को संघ की शर्तों द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इसलिए प्रतिभूति कवर को अन्य एनसीडी अभिदाताओं की संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार 1.25 गुणा पर अनुबद्धित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह तथ्य बताने वाले दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे कि वर्तमान सुविधा संघ व्यवस्था के अंतर्गत थी। संघ व्यवस्था में भी कंपनी को अपने वित्तीय हितों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा करनी चाहिए तथा अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त करनी चाहिए जैसाकि सीआईसी/सीआरएमडी द्वारा सुझाव दिया गया था।

चूंकि नीतिगत ऋण पुनर्संरचना लागू कर दिया गया है, जिससे एमआईईएल की इक्विटी में आईएफसीआई की हिस्सेदारी केवल ₹ 11.69 करोड़ तक ही है, ₹ 272.76 करोड़ की शेष बकाया राशि की वसूली संदेहास्पद है।

### **ख. भूषण स्टील लिमिटेड**

भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) को पूंजीगत व्यय तथा कार्पोरेट ऋण को चुकाने के लिए ₹ 300 करोड़ का कार्पोरेट ऋण संस्वीकृत/संवितरित किया गया था (अगस्त/सितम्बर 2013)। इस ऋण को दो वर्षों के स्थगन के पश्चात 4.5 वर्षों में चुकाया जाना था। कंपनी की मौजूदा/भावी चल तथा अचल परिसम्पत्तियों पर पहले समरूप प्रभार की प्रतिभूति छह माह में दी जानी थी। इसे निदेशकों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति द्वारा भी प्रतिभूत किया गया था। चूंकि बीएसएल नकदी की कमी के कारण अपने ऋणदाता को देयताओं को चुकाने में समस्या का सामना कर रहा था इसलिए संयुक्त ऋणदाता मंच (जेएलएफ) का गठन किया गया तथा जेएलएफ द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) कार्यान्वित की गई थी (अप्रैल 2014)। आईएफसीआई ने सीएपी के अंतर्गत इसको ₹ 100 करोड़ का अतिरिक्त ऋण संस्वीकृत किया

था (जुलाई 2015)। इसका मूलधन बकाया ₹ 389.58 करोड़ था तथा ब्याज चूक ₹ 12.96 करोड़ थी (31 मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऋण की संस्वीकृति आईएफसीआई की मौजूदा सामान्य उधार नीति का उल्लंघन करते हुए दी गई थी क्योंकि अधिकतम ऋण इक्विटी अनुपात 1.5:1 के बजाय 2.24:1 था तथा मौजूदा अनुपात के अनुबद्धित न्यूनतम 1.33 के बजाय 1.06 था। ऋण अवधि के लिए अनुमानित औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात अनुबद्धित न्यूनतम 1.5 के बजाय 1.42 गुणा था। आगे यह देखा गया कि प्रचालन लाभ मार्जिन तथा निवल लाभ मार्जिन में संस्वीकृति से पूर्व पिछले तीन वर्षों में लगातार गिरावट आई थी तथा वित्तीय वर्ष 2014<sup>13</sup> के लिए अनुमानों के अनुसार मार्जिन में और अधिक कमी आने की संभावना थी। इस बारे में सीआरएमडी द्वारा उसके जोखिम पत्र में बताया गया था कि लाभ मार्जिनों में कमी का बीएसएल की नकदी तथा इसके ऋण दायित्वों की व्यवस्था करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता था और विशेष अचल परिसम्पत्तियों पर प्रभार के माध्यम से ऋण को प्रतिभूत करने का पता लगाया जा सकता था। फिर भी ऋण की संस्वीकृति केवल समरूप आधार पर दे दी गई थी तथा निदेशकों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति पर ही संवितरण किया गया था। यहां तक कि ऋण इक्विटी अनुपात में ऋण की संस्वीकृति से पूर्व पिछले तीन वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई थी जो 1.83 गुणा से 2.24 गुणा के बीच थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल, नवम्बर 2016) कि सुविधा की संस्वीकृति दी गई थी जिसमें सभी विचलनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथावत अनुमोदन दिया गया था तथा बिक्रियों में वृद्धि के साथ लाभ में काफी सुधार आने की संभावना थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संस्वीकृति के समय लाभ मार्जिन में कमी आई थी जिसमें अनुमानों के अनुसार और अधिक गिरावट आनी थी तथा ऋण-ग्रस्तता के स्तर में वृद्धि हुई थी जो बीएसएल की नकदी तथा इसके ऋण दायित्वों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित करेगी। इसके अलावा, आरबीआई की स्ट्रैस्ड परिसम्पत्तियों की संधारणीय संरचना योजना के अंतर्गत इसके ऋणों की पुनः संरचना के लिए बीएसएल द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव विचाराधीन था (फरवरी 2017)। इसके साथ ही 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान इसके

<sup>13</sup> प्रचालन लाभ मार्जिन (2011 में 19%, 2012 में 13%, 2013 में 11%) तथा निवल लाभ मार्जिन (2011 में 14%, 2012 में 10%, 2013 में 8%)। संभावित प्रचालन लाभ मार्जिन तथा निवल लाभ मार्जिन क्रमशः 8% तथा 6% थे।

ऋण भार<sup>14</sup> के साथ-साथ भारी हानियों<sup>15</sup> में काफी वृद्धि के मद्देनजर ₹ 402.54 करोड़ की वसूली की संभावना संदेहास्पद है।

### 3.3.4 धन वापसी में चूकों के कारण सुविधाओं की अदला-बदली

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईएफसीआई ने कर्जदार कंपनी में इसकी मौजूदा एक्सपोजर की अदला बदली के लिए कर्जदार की दूसरी ग्रुप कंपनियों को नई क्रेडिट सुविधाएं संस्वीकृत की थी जब कर्जदार इक्विटी निवेश के ऋण की धन वापसी/वापसी खरीद में चूक गया था। अतः कंपनी ने पुरानी सुविधाओं को बंद कर दिया, तथा उसकी देयताओं को संस्वीकृत की गई नई सुविधाओं में हस्तांतरित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उसकी पूर्व एक्सपोजर एवरग्रीन हो सके जिसे चूकों के कारण वसूल नहीं किया जा सका। चूकों के कारण सुविधाओं की अदला-बदली के कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

#### क. वीबीसी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

आईएफसीआई ने वीबीसी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (वीबीसीआईएल) के अपरिवर्तनीय डिबेंचर में ₹ 56.74 करोड़ का अभिदान संस्वीकृत किया (मार्च 2013) जिसका उद्देश्य कोना सीमा गैस पावर (केजीपीएल), जो वीबीसीआईएल की ग्रुप कंपनी थी, में आईएफसीआई की ₹ 45 करोड़ की इक्विटी निवेश को अदला बदली करना था। अदला बदली का कारण केजीपीएल की अपनी वापसी-खरीद<sup>16</sup> की प्रतिबद्धता (जुलाई 2012) का भुगतान करने में विफलता के साथ साथ वापसी खरीद की तिथि तक ₹ 11.74 करोड़ के बकाया रिटर्न (16 प्रतिशत पर) के भुगतान में विफलता था। संवितरण 02 अप्रैल 2013 को हुआ तथा प्रथम कूपन 5 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से 15 अप्रैल 2014 को देय था तथा शेष रिटर्न 7 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से एनसीडीज के मोचन के समय देय था। प्रतिभूति केवल केजीपीएल तथा वीबीसीआईएल के गिरवी शेयरों के रूप में थी तथा किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति की मांग नहीं की गई थी। कर्जदार प्रथम कूपन के भुगतान (अप्रैल 2014) में ही चूक गया था तथा तब से कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुए हैं। कंपनी ने बकाया एनसीडी सहायता को पुनः निर्धारित किया (अक्टूबर 2014) जिसके अनुसार 2 अप्रैल 2013 से 30 सितम्बर 2016 तक ₹ 25.83 करोड़

<sup>14</sup> दीर्घावधि उधारियों में 2013-14 में ₹5,566.10 से 2014-15 में ₹30,927.72 करोड़ तथा 2015-16 में ₹ 32,326.02 करोड़ तक वृद्धि आई थी।

<sup>15</sup> 2013-14 में ₹95.33 करोड़ के लाभ से 2014-15 में ₹1254.95 करोड़ तथा 2015-16 में ₹3573.85 करोड़ की हानि हुई।

<sup>16</sup> शेयरों की पुनः खरीद



के अदत्त ब्याज का वित्तपोषण तथा एनसीडी की मूलधन धन वापसी को आस्थगित करके सितम्बर 2018 से आरंभ किए जाने का प्रावधान किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस सुविधा की संस्वीकृति केजीपीएल के इक्विटी शेयरों में आईएफसीआई के निवेश की वापसी-खरीद को सरल बनाने के लिए दी गई थी क्योंकि यह नकदी समस्याओं के कारण इन शेयरों को वापस खरीदने में चूक गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.74 करोड़ की (केजीपीएल द्वारा देय) अनार्जित आय की बुकिंग हुई क्योंकि इसमें केजीपीएल को संस्वीकृत की गई इक्विटी सुविधा पर चूका हुआ रिटर्न शामिल था, जो कर्जदार से वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ था, किंतु अब इसे वीबीसीआईएल को एनसीडीज के रूप में दे दिया गया था।

इसके अलावा, नई अदला-बदली सुविधा की संस्वीकृति कर्जदार की धन वापसी क्षमता का विश्लेषण किए बिना दी गई थी। संस्वीकृति के समय कर्जदार का संयंत्र चालू नहीं था (मार्च 2013) जिसकी आईएफसीआई ने जांच नहीं की थी क्योंकि कोई साइट दौरा नहीं किया गया था। सुविधा की संस्वीकृति अपर्याप्त तथा अविक्रेय प्रतिभूतियों के साथ दी गई थी, उस समय केजीपीएल के शेयर असूचीबद्ध थे तथा वीबीसीआईएल के शेयर निश्चित अवरूढ़ता अवधि में तथा कम ट्रेडिड थे, जिससे कर्जदार द्वारा चूक के मामले में प्रतिभूति के प्रवर्तन हेतु एकजट विकल्प सीमित हो गए। कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि जब कर्जदार ने एनसीडीज की सर्विसिंग करने में अपनी अक्षमता व्यक्त कर दी थी (2 अप्रैल 2014)। इन चूकों के बावजूद, सुविधा को मानक परिसम्पति माना गया था। क्रेडिट जोखिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट (जुलाई 2014), जिसमें सुविधा को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा गया था, को इस स्पष्टीकरण के साथ बंद कर दिया गया कि प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी।

प्रबंधन ने स्वीकार किया कि प्रवर्तक के पास केजीपीएल में आईएफसीआई के इक्विटी अधिकार वापस खरीदने के लिए या खराब नकद प्रवाह स्थिति के मद्देनजर निश्चित रिटर्न की सर्विस के लिए कोई नकदी नहीं थी। इसने स्वीकार किया कि अदला-बदली का मुख्य उद्देश्य वैध तरीकों से इसकी प्राप्य राशियों की वसूली करना था। उन्होंने तथ्य को स्वीकार किया कि संस्वीकृति के समय कर्जदार के प्रचालन बंद थे। आगे यह बताया गया कि वीबीसीआईएल के पास संस्वीकृति के समय सात करोड़ रूपए का ईबीआईटीडीए था जिसके भविष्य में मांग में वृद्धि होने से बढ़ने की संभावना थी।

प्रबंधन की स्वीकृति से पता चला कि इस सुविधा की संस्वीकृति का उद्देश्य वापसी खरीद में चूक के कारण केजीपीएल में इसकी इक्विटी के एक्सपोजर को एवरग्रीन करना था। इसके परिणामस्वरूप आईएफसीआई के जोखिम को बढ़ाते हुए ₹ 10.81 करोड़<sup>17</sup> के वित्त पोषित ब्याज की धन वापसी के संबंध की भावी देयता के अलावा 31 मार्च 2016 तक ₹ 71.76 करोड़<sup>18</sup> की वसूली संदेहास्पद है।

**ख. पिपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड तथा पिपावाव मरीन एंड ऑफशोर लिमिटेड**

आईएफसीआई ने एसकेआईएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एसकेआईएल, ग्रुप कंपनी) को पूर्व में स्वीकृत संस्वीकृत दो सुविधाओं (मई 2010 तथा अप्रैल 2011), अर्थात ₹ 150 करोड़ का एक लघु अवधि ऋण (एसटीएल) तथा ₹ 200 करोड़ का विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडीज), के संबंध में आईएफसीआई की मौजूदा एक्सपोजर की अदला-बदली के उद्देश्य हेतु पिपावाव डिफेंस एण्ड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (पीडीओईसीएल) तथा पिपावाव मरीन एंड ऑफशोर लिमिटेड (पीएमओएल) को क्रमशः ₹ 150 करोड़ तथा ₹ 202.22 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए (मार्च 2014/मार्च 2013)।

एसकेआईएल को लघु अवधि ऋण, जिसकी पीडीओईसीएल के ऋण के साथ अदला बदली की गई थी, संस्वीकृत किया गया था यद्यपि इसके लाभ इसकी धन वापसी क्षमता के अनुरूप नहीं थे। इसके अलावा, एसकेआईएल पहले ही अन्य सत्वों का ₹ 615 करोड़ का ऋणी था तथा ग्रुप कंपनियों, जिसके सूचीबद्ध शेयरों को प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत किया गया था, या तो नई थी या क्षीण लाभ कमा रही थी, जोकि सामान्य उधार नीति के विरुद्ध था जो अपेक्षा करती है कि कंपनी, जिसके शेयर गिरवी रखे गए हैं, पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित करने वाली तथा प्राथमिकता के साथ लाभांश का भुगतान करने वाली होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीडीओईसीएल को ऋण की संस्वीकृति इसकी खराब वित्तीय स्थिति के बारे में ज्ञात होने के बावजूद उक्त को एसकेआईएल के ऋण की थोड़ी धन वापसी के लिए उपयोग करने की शर्त के साथ दी गई थी। ऋण इक्विटी अनुपात 2.33 था जोकि जीएलपी द्वारा अनुबद्धित 1.6 के अधिकतम से अधिक था और प्रतिभूति कवर जीएलपी द्वारा अनुबद्धित दो गुणा के न्यूनतम प्रतिभूति कवर के बजाय केवल 1.78 गुणा था। इसके

<sup>17</sup> ₹ 25.83 करोड़ - ₹ 15.02 करोड़

<sup>18</sup> ₹ 15.02 करोड़ के वित्तपोषित ब्याज सहित (31 मार्च 2016 तक)

अलावा, संस्वीकृति के समय यह अन्य संघ ऋणदाताओं को नियमित रूप से अपने ऋण की सर्विस करने में भी समर्थ नहीं था। इस सुविधा की अदला-बदली के समय, आईएफसीआई ने एसकेआईएल द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में मूलधन तथा ब्याज के प्रति क्रमशः ₹ 9.50 करोड़ तथा ₹ 27.78 करोड़ का समायोजन (जून 2014) किया था तथा दांडिक ब्याज और लिक्विडिटी हर्जानों के प्रति ₹ 12.65 करोड़ छोड़ दिए थे जो एसकेआईएल द्वारा धन वापसी में चूक के कारण उदगृहित किए गए थे। मार्च 2016 तक पीडीओईसीएल की बकाया देयताए ₹ 181.09 करोड़ थी जिसमें ₹ 31.09 करोड़ का ब्याज शामिल था।

पीएमओएल को ऋण के साथ ओसीडीज की अदला-बदली के संबंध में, यह देखा गया कि पीएमओएल एक नई निगमित कम्पनी थी (जून 2012) जिसकी प्रदत्त पूंजी केवल ₹ 5 लाख थी। संस्वीकृति के समय प्रतिभूति कवर भी दो गुणा कवर के जीएलपी अनुबद्ध के बजाय केवल 1.32 गुणा होने के नाते अपर्याप्त था। इस सुविधा की अदला-बदली के समय आईएफसीआई ने एसकेआईएल के ओसीडीज पर ₹ 12.92 करोड़ का रिटर्न छोड़ दिया था। पीएमओएल के प्रति बकाया देनदारियाँ ₹ 166.50 करोड़ थी जिसमें ₹ 15.20 करोड़ का ब्याज शामिल था ।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि आईएफसीआई ने फिर भी दोनों सुविधाओं को इस तथ्य के बावजूद मानक परिसम्पतियों के रूप में वर्गीकृत किया कि एसकेआईएल को मूल सुविधाओं को पुनः निर्धारित किया गया था तथा फिर पीडीओईसीएल तथा पीएमओएल को दिए गए ऋणों के साथ अदला-बदली कर दी गई थी।

ग्रुप कम्पनियों में पुरानी सुविधा के साथ नई की अदला-बदली के परिणामस्वरूप इसके एनपीए बनने में गतिरोध आया तथा यह एवरग्रीन हो गई। 31 मार्च 2016 को दोनों सुविधाओं के लिए आईएफसीआई की ₹ 347.59 करोड़, (₹ 46.29 करोड़ के ब्याज सहित) की एक्सपोजर संदेहास्पद बनी रही। इसके अलावा दांडिक ब्याज, लिक्विडिटी हर्जानों तथा ओसीडीज पर रिटर्न को छोड़ने के कारण ₹ 25.57 करोड़<sup>19</sup> की राजस्व हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई/दिसम्बर 2014<sup>20</sup> तथा नवम्बर 2016) कि एसकेआईएल को ऋण की संस्वीकृति इसकी वित्तीय स्थिति तथा भावी योजनाओं के आधार पर सोचा-समझा कारोबारी निर्णय था जिसे अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित मंदी के कारण मूर्त रूप नहीं दिया

<sup>19</sup> पीडीओईसीएल में ₹ 12.65 करोड़ तथा पीएमओएल में ₹ 12.92 करोड़।

<sup>20</sup> उत्तर मंत्रालय को जारी ड्राफ्ट पैरा के संबंध में है (नवम्बर 2014) जिसे अब निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है।

जा सका था। एसकेआईएल का संबंधित अकाउंट बंद हो गया है। पीडीओईसीएल के ऋण को सीडीआर के संरक्षण के तहत पुनः संरचित किया गया है। रिलायंस ग्रुप द्वारा पीडीओईसीएल/ पीएमओएल के अधिग्रहण के अनुसार उन्होंने नई शर्तों पर मौजूदा सुविधाओं को पुनः वित्तपोषित करने के लिए प्रस्ताव रखा है। पीएमओएल को नया ऋण केवल एसकेआईएल में निवेश हेतु परिसम्पत्ति गुणवत्ता को सुधारने के लिए दिया गया था। इसके अतिरिक्त इस संबंध में वर्तमान प्रतिभूति कवर 1.22 गुणा था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अदला-बदली के परिणामस्वरूप अनवरत चूकों के बावजूद संदेहास्पद सुविधा की एवरग्रीनिंग हुई। प्रतिभूति कवर में सुधार की उम्मीद पर एसटीएल/ओसीडीज़ की संस्वीकृति कर्जदार की खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनजर अविवेकपूर्ण थी। रिलायंस ग्रुप की पुनः वित्तपोषण शर्तें भी अभी केवल प्रस्ताव चरण पर थी (नवम्बर 2016)। पीएमओएल को सुविधा के संबंध में 1.22 गुणा का प्रतिभूति कवर अभी तक भी सामान्य उधार नीति के दो गुणा के अनुबद्ध से कम है।